संख्या–18/2025/738/30–3–2025

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 29 मार्च, 2024

विषय: उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष नियमावली, 2014 के अन्तर्गत गठित कोष प्रबन्धन समिति की बैठक दिनांक 16-05–2024 व 27-12-2024 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु पूंजीगत पक्ष के अंतर्गत व्यय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–725स0सु0/2023-08स0सु0/2021(Vol-3), दिनांक 21 मार्च 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद गोरखपुर, मथुरा, अयोध्या, बरेली एवं अलीगढ़ में निर्मित डी०टी०टी०आई० परिसर के बाउण्ड्री वॉल की ऊंचाई व सुरक्षा के दृष्टिगत क्रमशः रु० 11.77 लाख, 13.56 लाख, 52.33 लाख, 3.61 लाख, 115.95 लाख एवं जनपद लखनऊ एवं औरैया में व्हीकल डिटेंशन यार्ड की स्थापना हेतु क्रमशः रू० 255.18 लाख, रू0 407.90 लाख तथा जनपद मीरजापुर एवं मथुरा में निर्मित डी०टी०टी०आई० के अंतर्गत निर्धारित परिमाप का सिमुलेटर स्थापित किये जाने के संबंध में दीवार तोड़े जाने एवं शटर लगाये जाने हेतु क्रमशः 9.38 लाख, रू0 1.99 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराने के साथ ही प्रश्नगत कार्य हेतु आगणन उपलब्ध कराने वाली संस्था को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित कराने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोष प्रबंधन समिति की बैठक दिनांक 16-05-2024 एवं दिनांक 27-12-2024 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरण के अनुसार कुल धनराशि रू0 6,14,80,024/- (रू0 छः करोड़ चौदह लाख अस्सी हजार चौबीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए नीचे उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	कार्य की लागत	कोष प्रबंधन समिति की बैठकों में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में स्वीकृति हेतु अनुमोदित धनराशि	कार्यदायी संस्था
1	गोरखपुर	पूर्व निर्मित डी0टी0टी0आई0 के परिसर की बाउण्ड्रीवॉल की ऊँचाई बढ़ाने एवं सुरक्षात्मक कार्य ।	11.77	11.77	उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड-3, लो0नि0वि0, गोरखपुर
2	मथुरा	पूर्व निर्मित डी0टी0टी0आई0 के परिसर की बाउण्ड्रीवॉल पर एंगिल लगाकर बारबिड वायर फेंसिंग का कार्य।	13.56	13.56	कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) यूनिट-17, मथुरा ।
3	बरेली	डी०टी०टी०आई० की चाहरदीवारी पर कंसर्टिना कांटेदार बाड़ लगाये जाने के सम्बन्ध में।	3.61	3.61	कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ०प्र० जल निगम, यूनिट-49, बरेली।
4	लखनऊ	व्हीकल डिटेंशन यार्ड की स्थापना हेतु।	255.18	200.00 (प्रथम किश्त के रूप में)	कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ०प्र० जल निगम, यूनिट-6, लखनऊ।
5	औरैया	व्हीकल डिटेंशन यार्ड की स्थापना हेतु।	407.90	385.86024 (प्रथम किश्त के रूप में)	कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), फर्रूखाबाद।
		कुल योग -		6,14,80,024/- **(रू0 छः करोड़ चौदह लाख अस्सी हजार चौबीस मात्र)**	

नियम व शर्तें –

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।
2. प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जाएगा।
3. कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसे भी अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे।
4. योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
5. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनॉक 04-03-2024 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. सेंटेज चार्जेज, निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से संबंधित वित्तीय प्रबंधन संबंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 में पूंजीगत पक्ष के लेखाशीर्ष-5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-05-उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-24-वृहत निर्माण कार्य में प्रावधानित धनराशि से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-9-742-X-2024-25, दिनांक 29 मार्च, 2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-18/2024/738(1)/30-3-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- सम्बंधित कार्यदायी संस्था (द्वारा परिवहन आयुक्त, उ0प्र0)।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(नितिन कुमार गुप्त)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।